सौदामनी

जनवरी – मार्च, 2015 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–4

प्रस्तावना

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग एवं इसकी प्रगति के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। इस पत्रिका के संपादन में सरल और सहज भाषा का प्रयोग लक्षित कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि हिंदी भाषा में तकनीकी विषयों की सामग्री की कमी हमेशा महसूस की गई है। मुझे विश्वास है कि आगामी अंकों में भी हमारे कार्यालय के स्तर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों व विकास कार्यों की जानकारी इस पत्रिका में उपलब्ध करवाई जाती रहेगी।

हम सभी जानते हैं कि भाषा का विकास उसके बहुआयामी प्रयोग से ही होता है। इस दृष्टि से भी इस पत्रिका का प्रकाशन प्रशंसनीय पहल कही जाएगी।

राजभाषा की संकल्पना के आधार को साकार करती यह पत्रिका निस्संदेह हममें राजभाषा के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करेगी। मैं आशा करता हूं कि अपने प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त तकनीकी कार्यों में भी हिंदी का प्रयोग करने के लिए हम सभी निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे।

पत्रिका के इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

अजय कुमार सक्सेना
प्रमुख (इंजीनियरिंग)

संदेश

हमारे आयोग के स्तर से प्रकाशित तिमाही पत्रिका 'सौदामनी' के पिछले अंकों को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। इसमें आयोग की गतिविधियों को तो शामिल किया ही जा रहा है साथ ही स्टाफ की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कविता, लेख आदि का भी निरंतर प्रकाशन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों का स्तर देखकर मैं निरंतर प्रभावित रहा हूं और आशा करता हूं कि हमारा स्टाफ शीघ्र ही तकनीकी विषयों पर भी इस पत्रिका के लिए लेख उपलब्ध करवाएगा और इस पत्रिका में अपना मूल्यवान योगदान देगा।

यह पत्रिका हमारे सभी स्तर के स्टाफ में छिपी सृजनात्मक प्रतिभा का मंच है जिसके माध्यम से हम अपने विचार अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे समस्त विकास कार्य तभी सार्थक होंगे जब हम इस विकास को जन जन तक पहुंचा सकेंगे।

मुझे विश्वास है कि पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित पठनीय, सूचनाप्रद और रोचक सामग्री की उपलब्धता से हमारा संपूर्ण स्टाफ लाभान्वित होगा।

हार्दिक शुभकामनाएं।

(मनोज कुमार आनंद)
प्रमुख(वित्त)

अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय उपलब्धि

श्री हरीश बालोदी

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के लेखा प्रभाग में कार्यरत श्री हरीश बालोदी, सहायक दिल्ली शहर में आपदा प्रबंधन से जुड़े सक्रिय सदस्य हैं। वे पिछले दिनों दिल्ली में आए भूंकप के दौरान अपने लगातार राहत कार्यों में लगे रहे। उनके इस कार्य की समाचार पत्रों एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रशंसा भी की गई है। हम सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित उनके इस जागरूक नागरिक पहल के लिए प्रशंसा करते हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग परिवार को उन पर गर्व है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (दिनांक 31.03.2015)

आयोग के स्तर पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च, 2015 को समाप्त तिमाही बैठक दिनांक 31.03.2015 को आयोग की सचिव एवं अध्यक्ष रा.भा.का.स. सुश्री शुभा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी प्रभागों की पिछली तिमाही के दौरान हिंदी प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सामूहिक चर्चा के दौरान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन, तिमाही प्रगति रिपोर्ट में किए जाने वाले आंकड़ों से समुचित रिकार्ड रखे जाने, विभागीय प्रोत्साहन योजनाओं के कार्यान्वयन, समस्त स्टाफ को हिंदी में कार्य करने के लिए सहायक सामग्री वितरित करने तथा बनाए गए मानक पत्रें व मसौदों के प्रारूप के प्रयोग को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इस बैठक में समिति की अध्यक्ष महोदया द्वारा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

सौदामनी

जनवरी – मार्च, 2015 | केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग | खण्ड–I अंक–4

भ्रष्टाचार उन्मूलन में तकनीक का सदुपयोग

पुरस्कृत निबंध

भारत एक विशाल देश है। विशाल देश है तो समस्याएं भी विकराल होगी। इन्हीं में से एक है भ्रष्टाचार की समस्या, जो किसी भी विकासशील देश की अर्थव्यवस्था की जड़ों को खोखला करने का काम करती है।

भारत में भ्रष्टाचार के कारण हैं:– विनियमों की भरमार, जटिल कर प्रणालियां और लाइसेंसिंग सिस्टम, अनेकों सरकारी महकमें, जिनमें अफसरशाही और मनमानी करने के अधिकार प्राप्त तानाशाह विराजमान हैं, कुछेक सामानों और सेवाओं पर सरकारी संस्थाओं का नियंत्रण है तथा कानून और कानूनी दावपेंच में पारदर्शिता की कमी, विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में भारी अंतर का होना है। राजनीति हो अथवा अफसरशाही, भू माफियाओं द्वारा अवैध भूमि अधिग्रहण का मामला हो या टेंडर जारी करना और ठेके देने का कार्य हो, औषधि घोटाला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान क्षेत्र के घोटाले, आयकर विभाग का भ्रष्टाचार हो अथवा खनिज संसाधनों की बंदर लूट, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एजेंटों को दी जाने वाली रिश्वत का मामला हो भारत में ये सभी कार्य भ्रष्टाचार के माध्यम से ही होते हैं।

जिनमें भ्रष्टाचार की अधिक गुंजाइश है वह तीन क्षेत्र भ्रष्टाचार की दलदल में सर्वाधिक लिप्त हैं– रियल एस्टेट, दूरसंचार और सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक विकास परियोजनाएं। इस भ्रष्टचार का दर्द सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर निचला वर्ग अथवा शहरों में रह रहे मध्यवर्गीय समाज को झेलना पड़ रहा है।

हमारी मानसिकता अपना अधिकार शीघ्र हासिल करने की बन चुकी है। प्रत्येक कार्य के लिए सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है परन्तु हम स्वयं उसका पालन न करके सबसे पहले अपना काम निकालना चाहते हैं, चाहे उसके पीछे हमसे अधिक पात्रा व्यक्ति का अहित क्यों न हो जाए। यदि वंचित रहने वाला उतना धनी और प्रभावशाली नहीं है तो पूरी व्यवस्था गलत हाथों में चली जाएगी और अफसर वर्ग इसका दोनों से फायदा उठाएगा और अंततः देश का अहित ही होगा। यदि हम ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पूरी लगन और मेहनत से कुछ प्राप्त करना चाहें तो भी अवसरों की कमी नहीं है। पाने के लिए कुछ खोना भी पड़े तो भावी पीढ़ी को विरासत में एक आर्थिक रूप से समृद्ध एवं आदर्श भारत देकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। आवश्यकता है हमें भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी की और उनके प्रति सतर्क एवं जागरूक रहने की। भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मुकदमा दायर करने की धारा, भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम, 1988 बेनामी संपत्ति की खरीद फरोखत (निरोधी) अधिनियम 1988, मनी लांडरिंग निरोधी अधिनियम, 2002 मौजूद हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2005 (संशोधित 2011) का भी सदस्य है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जो जनवरी, 2014 से लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत में किसी भी सरकारी तंत्र के खिलाफ आरोपों की जांच कराने का अधिकार है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए न्यायालयों की भी आवश्यकता है, जो इन पर तुरंत कार्रवाई करें और न्यायिक प्रक्रिया तुरंत की जा सके। ऐसे मामलों के लम्बे समय तक विचाराधीन रहने के कारण दोषी बच निकलते हैं क्योंकि एक कहावत है कि न्याय में देरी अन्याय ही कहलाता है।

इसमें संदेह नहीं कि यदि समाज और सरकार संगठित हो जाएं तो सतर्कता और जागरूकता के हथियार से भ्रष्टाचार रूपी भस्मासुर का अंत करने में अधिक विलम्ब नहीं होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था उन्नत होने के साथ साथ विश्व में अपना अग्रणी स्थान बनाकर फिर से सोने की चिड़िया कहलाने का अधिकार पा लेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हमें सकारात्मक सोच रखकर भ्रष्टाचार का अंत करना होगा।

बत्तो सिंह
तकनीकी अधिकारी (इंजीनियरिंग)

के. वि. वि. आयोग C. E. R. C.

सौदामनी

जनवरी – मार्च, 2015 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग खण्ड–I अंक–4

स्वच्छ भारत : मेरा सपना

स्वच्छता का अर्थ है मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वच्छ रहने की आदत। शारीरिक रूप से स्वच्छता हमारे शरीर को स्वस्थ एवं तंदुरूस्त रखती है एवं मानसिक स्वच्छता हमारी विचारों को स्वच्छ बनाती है। स्वच्छ व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है।

शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ हमारे घर, कार्य स्थान आसपास का वातावरण, गली एवं शहर को भी स्वच्छ रखना चाहिए।

आज हमारे भारतवर्ष में बहने वाली हर नदी दूषित है, जगह जगह गंदगी फैली है। हमारे शहर दिल्ली से बहने वाली नदी यमुना ने तो नाले का रूप ले लिया है। भारत के लगभग सभी दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों पर सिर्फ चिप्स के खाली पैकेट, पानी की खाली बोतलें एवं प्लास्टिक की थैलियां दिखाई देती हैं। नदियों एवं पर्यावरण में गंदगी का मुख्य कारण हैं ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं अपशिष्ठ जल प्रबंधन की कमी।

सफाई एवं स्वच्छता के लिए हम हमेशा सरकारी तंत्र को जिम्मेवार ठहराते हैं। परंतु स्वच्छता या गंदगी इन दोनों के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। जैसे हम अपने शरीर की स्वच्छता स्वयं करते हैं ऐसे ही हमें अपने घर गली, मौहल्ले इत्यादि की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए एवं अपने बच्चों एवं मित्रों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि स्वच्छ व्यक्ति वह नहीं है जो गंदगी से दूर भागता है परन्तु स्वच्छ व्यक्ति वह है जो कि गदें वातावरण को साफ करने का प्रयास करता है।

एक व्यक्ति जो कि बच्चों से प्रेम करता है वो भी है जो कि उसे सबसे स्वच्छ लगता है। इसी तरह हमारे भारत में अगर गंदगी बढ़ती रही तो विदेशी पर्यटक जोकि हमारे भारत की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं तो उनका आना भी धीरे धीरे बन्द हो जाएगा।

स्वच्छता आदमी के चरित्र को भी दर्शाती हैं अगर हम अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे तो पूरी दुनियां में उसका मान बढ़ेगा।

हमारा भारत देवी देवताओं का स्थान माना जाता है और हमारी पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान हमेशा स्वच्छ स्थान पर ही निवास करते हैं तो हमें अपने भारत को साफ एवं सुन्दर बनाना होगा ताकि हमारे देवी देवता यहां सदा वास करते रहें और अतिथि के रूप में विदेशी पर्यटक भी यहां आते रहें।

और स्वच्छता से हम कह पाएंगे 'स्वच्छ भारत पावन भारत'।

अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी हम अपने 'स्वच्छ भारत' के सपने को पूरा कर पाएंगे।

तिलक राज
सहायक सचिव (वित्त)

विद्युत विनियमः एक अभूतपूर्व कदम

भारतीय अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। किसी भी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए उसमें साधनों और संसाधनों का भरपूर मात्र में न केवल होना आवश्यक है बल्कि उनका उपयोग भी सही तरीके अथवा मात्र में करना आवश्यक है। मौजूदा स्थिति में यह उपयोग बिना विद्युत के संभव प्रतीत नहीं होता है। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं ताकि निजी उद्योगों को भी विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लाया जा सके। हम सभी जानते हैं कि उनके योगदान से ही देश में आने वाले समय में विद्युत की आपूर्ति पूर्ण रूप से की जा सकती है। अब इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता अनुभव की गई और परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई और बाद में विद्युत अधिनियम, 2003 भी पारित किया गया जिसमें पहले के विद्युत अधिनियमों (1910 एवं 1948) की विषमताओं को दूर किया गया। इस प्रकार से हमारे देश में विद्युत विनियम युग की शुरुआत हुई है। विद्युत विनियम होने से न केवल निजी उद्योग इस और अग्रसर हुए हैं बल्कि आज निजी उद्योगों में विद्युत उत्पादन उद्योग लगाने की एक होड़ सी लगी है। विद्युत विनियम और उनको लागू करवाने के लिए पूरे देश में विनियामक आयोग स्थापित किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन उद्योग लगाने के लिए सरकारी एवं निजी उद्योगों को न केवल राष्ट्रीय बैंक बल्कि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संस्थान भी ऋण मुहैया करवाते हैं। इससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आकर खड़े होने की सहायता मिली बल्कि कई अन्य देश भारत के विद्युत विनियमों को आदर्श प्रतिपादन के रूप में देखते हैं। अब इन विनियमों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियम जुड़ जाने के बाद विनियामक आयोगों की व्यापक भूमिका हो गई है। फिर भी अभी हमें बहुत लम्बी दूरी तय करनी है। विनियामक आयोगों के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि यह संविधान में प्रदत्त तीनों शक्तियों का निर्वहन करते हैं। पहली नियम बनाने की, यानि विधायी शक्ति, दूसरी लागू करवाने यानि कार्यकारी शक्ति तथा तीसरी न्यायायिक शक्ति यानि विवाद के दौरान न्याय करने की शक्ति।

कमल किशोर
सहायक प्रमुख (विधि)

के. वि. वि. आयोग C. E. R. C.

सौदामनी

जनवरी – मार्च, 2015 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग खण्ड–I अंक–4

अन्य गतिविधियां

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के तत्वावधान में कतिपय विशेष दिनों के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विचारों की परस्पर वैचारिक आदान प्रदान की शृंखला आरंभ की गई है। इस कड़ी में सर्वप्रथम 23 जनवरी, 2015 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन के अवसर पर श्री पार्थ सेन, उप प्रमुख (वित्त) द्वारा व्याख्यान दिया गया।

श्री पार्थ सेन ने अपने लेख में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए आजाद हिंद फौज के गठन एवं उनकी 'चलो दिल्ली' नारे के क्रान्तिकारी महत्व को व्याख्यायित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी स्तर के स्टाफ ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व तथा उनके स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए गए अभूतपूर्व प्रयासों के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए।

इसी शृंखला में श्री एस.के.चटर्जी, संयुक्त प्रमुख (विनियामक मामले) की अध्यक्षता में भगत सिंह, राजगुरू व सुखदेव के शहादत दिवस पर दिनांक 23 मार्च 2015 को कार्यालय परिसर में एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें शहीद ए आजम भगत सिंह के क्रान्तिकारी व्यक्तित्व व स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके योगदान पर विचार विमर्श किया गया। इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता श्री विक्रम सिंह, उप प्रमुख (इंजी) ने भगत सिंह के जीवन पर केन्द्रित विस्तृत परचा पढ़ा और उनके जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं को उद्घाटित किया। इस अवसर पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भगत सिंह के जीवन से संबंधित घटनाओं के महत्वपूर्ण एवं प्रेरणास्पद रूपों के बारे में जानकारी साझा की। इस गोष्ठी में श्री प्रभात कुमार अवस्थी, श्री एस सी श्रीवास्तव, श्री पार्थ सेन सहित वरिष्ठ अधिकारियों व प्रत्येक स्तर के स्टाफ ने सक्रिय सहभागिता की।

उल्लेखनीय है कि महापुरूषों के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने और मौजूदा समय में उनके विचारों की प्रासंगिकता को रेखांकित करने के उद्देश्य से कार्यालय स्टाफ में परस्पर वैचारिक आदान प्रदान और अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से नियमित गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

माननीय सदस्य श्री एम.दीनदयालन को
भावभीनी विदाई देते हुए श्री पी. राममूर्ति – सहायक सचिव (का. एवं प्र.)

संरक्षक
ए.के.सिंघल
सदस्य

www.cercind.gov.in

संपादक मंडल
शुभा शर्मा, सचिव
पी. राममूर्ति, सहायक सचिव
राजेन्द्र प्रताप सहगल
राजभाषा अधिकारी

कृपया इस पते पर अपनी प्रतिक्रिया भेजें :
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
भूतल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली–110001
Email : info@cercind.gov.in